तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की में जारी हुए
.1.1.18	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता/वादी/प्रतिवादी, उभयपक्ष/उप. अनुपस्थित अधिवक्ता प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष/उप अनुपस्थित साक्ष्य वादी मे कुलदीप का शपथ-पत्र पत्रावली वास्ते पेश किया जो शामिल किया गया। आगामी पेशी दिनांक बहस पेश हो 12.1.18	
12.1.18	वकील वादी एवं पेशकार राज उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 23.1.18 को पेश हो।	
23.1.18	वकील वादी एवं पेशकार राज उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। दावा वादी डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखवाया जाकर शामिल फाईल किया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश बसरे इजलास सुनाया गया। सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़	

Scanned by CamScanner

 3

तारीख हुक्म	दावा हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25/1/18	पत्रावली पेश हुई। वादी ने वादपत्र प्रस्तुत करते हुये कथन किये हैं कि वादी के पिता स्व0 श्री बृजलाल पुत्र श्री शेराराम चक 1 एलजीडब्ल्यू के पत्थर नम्बर–62/277 (23) किला नम्बर–4/1, 7, 14 15/1, 16/2, 17 कुल 1.328 हैक्टेयर व चक 9 एमजेडी के पत्थर नम्बर–62/275 (53) के किला नम्बर–20/2 व 21 कुल 0.422 हैक्टेयर कुल तादादी 1.750 हैक्टेयर खातेदारी कृषि भूमि थी। वादी के पिता के देहान्त उपरान्त ग्राम पंचायत डबलीबास पेमा द्वारा दिनांक 21–01–2012 को वादी के पिता का वारिस प्रमाण–पत्र जारी किया गया जिसमें वादी जिसे कुलदीप के साथ दलीप के नाम से भी पुकारा जाता है। इस वजह से इस वारिस प्रमाण–पत्र में वादी का नाम कुलदीप के स्थान पर दलीप कुमार हो गया तथा इस वारिस प्रमाण–पत्र के आधार पर राजस्व अभिलेख में दलीप कुमार अंकित हो गया। तत्समय वादी को इस गलती का ज्ञान नहीं हुआ। अब अर्सा 4 माह पूर्व वादी ने उक्त वर्णित भूमि में अपने हिस्सा पर बैंक ऋण लेने हेतु बैंक से सम्पर्क किया तथा बैंक द्वारा वादी से उसकी पहचान का दस्तावेज मांगा तब वादी ने अपना मतदाता परिचय–पत्र व आधार कार्ड बैंक को दिया जिसमें वादी का नाम कुलदीप पुत्र बृजलाल अंकित है। इस पर बैंक वालों ने वादी को बताया कि जमाबन्दी में वादी का नाम दलीप कुमार अंकित है तथा उसके पहचान–पत्र में कुलदीप है। इसलिए वादी दलीप के नाम का पहचान–पत्र देते हैं तो इस भूमि पर बैंक ऋण सुविधा दी जावेगी। वादी को इस तथ्य का पता चलने पर वादी ने ग्राम पंचायत डबलीबासपेमा के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर वादी के पिता के वारिस प्रमाण–पत्र में वादी का नाम संशोधित कर दलीप कुमार के स्थान पर कुलदीप अंकित किये जाने का निवेदन किया जिस पर ग्राम पचांयत ने बाद जांच दिनांक 11–03–2016 को वादी के पिता का संशोधित वारिस प्रमाण–पत्र जारी कर दिया तथा सरपंच ग्राम पंचायत डबलीबासपेमा ने वादी के दो नाम कुलदीप व दलीप कुमार होने की तस्दीक भी दी। उक्त संशोधित वारिस प्रमाण–पत्र जारी होने के पश्चात् प्रतिवादी के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर चक 1 एलजीडब्ल्यू के खाता संख्या–52/96 व चक 9 एमओडी के खाता संख्या–43/87 में वादी का नाम दुरूस्त कर दलीप कुमार पुत्र बृजलाल के स्थान पर कुलदीप पुत्र बृजलाल अंकित किये जाने का निवेदन किया परन्तु अप्रार्थी ने बिना न्यायालय के आदेश के उक्त दुरूस्ती करने से इन्कार कर दिया है। वादी का नाम राजस्व अभिलेख में दलीप कुमार पुत्र बृजलाल होने से व पहचान–पत्र के दस्तावेजों में वादी का नाम कुलदीप पुत्र बृजलाल अंकित होने से वादी को राज्य सरकार द्वारा प्रदत सुविधाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है तथा उसे अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। वादी एक अनपढ़ व अनुसूचित जाति का ग्रामीण सहायक कलेक्टर एवं उपखण्डाधिकारी	

Scanned by CamScanner

परिवेश का व्यक्ति है तथा अत्यन्त लघु काश्तकार है। ऐसी स्थिति में वादी इस आशय की घोषणा प्राप्त कर कि दलीप कुमार व कुलदीप एक ही व्यक्ति है तथा इस कदर ही राजस्व अभिलेख में दुरूस्ती करवा अपना नाम दलीप कुमार के स्थान पर कुलदीप अंकित करवाने का अधिकारी व दावेदार है।

वादपत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी द्वारा वादी के वादपत्र का जबाव प्रस्तुत करते हुये कोई विरोध प्रस्तुत नहीं किया है।

वादी ने साक्ष्य वादी ने स्वयं को बतौर पीडब्ल्यू–1 परीक्षित करवाया तथा अपनी ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 जमाबन्दी चक 1 एलजीडब्ल्यू, प्रदर्श–2 जमाबन्दी चक 9 एमओडी, प्रदर्श–3 आधार कार्ड, प्रदर्श–4 संशोधित वारिसनामा स्व0 श्री बृजलाल, प्रदर्श–5 ग्राम पंचायत की तस्दीक प्रदर्शित करवाये।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का प्रतिवादी द्वारा कोई विरोध नहीं किया गया है तथा वादी ने मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अपने वादपत्र में किये गये कथनों को साबित किया है। इस कारण वादी का वादपत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः वादपत्र वादी आंशिक रूप से डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि दलीप कुमार पुत्र बृजलाल व कुलदीप पुत्र बृजलाल एक ही व्यक्ति है जिसको दो नामों से जाना जाता है तथा वादी राजस्व अभिलेख में ''दलीप कुमार पुत्र बृजलाल'' के स्थान पर ''कुलदीप उर्फ दलीप कुमार पुत्र बृजलाल'' अंकित करवा पाने का अधिकारी है तथा मुताबिक घोषणा तहसील हनुमानगढ़ के चक 1 एलजीडब्ल्यू के खाता संख्या–52/96 व चक 9 एमओडी के खाता संख्या–43/87 में वादी का नाम दुरूस्त कर ''दलीप कुमार पुत्र बृजलाल'' के स्थान पर ''कुलदीप उर्फ दलीप कुमार पुत्र बृजलाल'' अंकित करने का आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में मुताबिक निर्णय व डिक्री नाम की दुरूस्ती करने के आदेश दिये जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी कर संलग्न की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष वादी प्रतिवादी स्वयं अपना–अपना वहन करेगें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरमीम तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25/1/18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
हनुमानगढ़

सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी

Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner